24-04-18

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री एन०पी० कांकर। प्रति०क० 1 लगायत 5 द्वारा अधिवक्ता श्री सुनील कांकर। प्रति०क० 6 द्वारा अधिवक्ता श्री आर०सी० यादव। प्रति०क० 7 द्वारा अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला। प्रति०क० 8 पूर्व से एकपक्षीय। प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रतिवादीगण के अभिभाषकगण श्री सुनील कांकर, श्री आर०सी० यादव तथा श्री हृदेश शुक्ला ने प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विविध अपील क0 833/17 में पारित आदेश दिनांक 16.01.18 के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिए जाने हेतु लंबित था, जो कि पूर्ण हो चुकी है। ऐसे में उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण मान0 प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद के न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

उभयपक्ष मान0 प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.18 को उपस्थित रहें। प्रस्तुतकार प्रकरण का अभिलेख विधिवत तैयार कर विहित अविध में मान0 न्यायालय को अभिलेख प्रेषित करें।

प्रकरण उभयपक्ष की मान0 प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थिति एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30.04.18 को पेश हो

ALIHANIA PARENTA PARENTA SULTA

(Amit kumar Gupta) Civil judge Class-1 Gohad distt.Bhind (M.P.)